

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 27/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/74)
बअनवान दीपाराम बनाम भारथाराम इत्यादि

नम्वर व तारीख
अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस
(प्रथम लिंक अधिकारी)
दीपाराम

बनाम

भारथाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री लाखाराम साहू, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

आदेश

दिनांक 25 फरवरी 2026

अपीलांत ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 713/2024 बअनवान भारथाराम बनाम बनाम दीपाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांत द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये बिना ही इकतरफा स्थगन आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का खुलकर अवहेलना की गई है। वादग्रस्त आराजीयात मौजा उदयनगर के खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 4.4273 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2644/314 रकबा 0.2428 हैक्टेयर का अपीलांत रेकर्ड्ड खातेदार काश्तकार है। उतरदाता संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्ड्ड खातेदार नहीं है तथा न ही उतरदाता संख्या 1 का मौके पर किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। इस कारण प्रार्थी-उतरदाता संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार व हक नहीं है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्त की खरीदसुदा एवं स्वअर्जित भूमि होने से प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांत के पक्ष में है। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा बिना रेकर्ड्ड खातेदारी के वादग्रस्त भूमि पर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी करने के कारण अपीलान्त द्वारा सरकारी योजनाओं, ऋण आदि सुविधा से वंचित हो रहे हैं तथा सरकारी योजना के तहत टांको, आवास आदि का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। इस कारण अपीलान्त को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांत के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांत को समय पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांत द्वारा

हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल्स जज
अपील संख्या 27/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/74)
बअनवान दीपाराम बनाम भारथाराम इत्यादि

नम्वर व तारीख
अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। इस कारण न्याय हित में उक्त विलंब को क्षमा किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 713/2024 भारथाराम बनाम बनाम दीपाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 को अपारस्त फरमाया जावे।


जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे बिना आलौच्य अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं होने से अपारस्त किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही किये बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्दोषों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विप्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।


(ओमप्रकाश विश्णोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर